<u>न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी</u>

परिवाद सं0–1780 / 2023

जाहिद अली बनाम धनपाल आदि

CNR No UPLP10002942-2023

धारा–420 भा0दं0सं0

थाना–मोहम्मदी, खीरी

<u>04.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। परिवादी विगत तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही परिवाद की पैरवी की जा रही है। प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2015 को तलबी आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण धनपाल व हरिहर को अंतर्गत धारा–420 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है, किन्तु परिवादी निरन्तर अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही आवश्यक पैरवी की जा रही है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता कि धारा–256 दं0प्र0सं0 यह प्रावधानित करती है कि–यदि परिवादी पर समन जारी कर दिया जाय और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, परिवादी हाजिर न हो तो मजिस्ट्रेट इसमें उसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे, परन्तु जहॉ परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाए या जहॉ मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, जहॉ मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभियुक्ति देकर मामले की कार्यवाही कर सकता है। (2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहॉ तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होगें जहॉ परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु हो।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद खारिज किया जाता है। अभियुक्तगण धनपाल व हरिहर को अंतर्गत धारा–420 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)

यू0पी01964

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मोहम्मदी–खीरी।

04.06.2026